न्यायालय उप जिलाधिकारी करछना, इलाहाबाद।
वाद सं0 16 वर्ष07-08 अन्तर्गत धारा 143ज0वि0अधि0
मौजा पंवर परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद।
वात्सल्य जन कल्याण समिति बनाम गांवसभा

नकल निर्णय दिनांक 27-12-07

प्रस्तुत वाद वात्सल्य जन कल्याण समिति द्वारा सचिव ह0 नीरज अग्रवाल पुत्र श्री टी0डी0 अग्रवाल निवासी 618 एल्गिन रोड जिला इलाहाबाद ने गांवसभा पंवर परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद को प्रतिवादी बनाते हुए ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत इस कथन के साथ योजित किया है कि वह विवादित भूमि को जरिये पंजीकृत बैनामा क्रय किया है और वर्तमान समय में वादी विवादित भूमि का संक्रमणीय भूमिधर व काबिजदखील काश्तकार है। यह कि विवादित भूमि में कृषि कार्य न करके अब शिक्षा संस्थान हेतु भवन का निर्माण करना चाहता है और विवादित भूमि में चारो ओर से बाउन्ड्री बना लिया है जो आबादी की शक्ल में है। अंत में याचना किया है कि विवादित भूमि को आबादी घोषित करते हुए कागजात सरकारी दुरूस्त कराया जाय। साथ में उद्धरण खतौनी वर्ष 1408 लगायत 1413फ0 दाखिल किया है।

नियमानुसार तहसीलदार करछना से स्थलीय जांच करायी गयी। क्षेत्रीय लेखपाल/रा0नि0/ना0तह0 ने अपनी आख्या में उल्लिखित किया है कि विवादित भूमि बाउन्ड्री से घिरी हुयी है और खेती नहीं हो रही है जो अकृषिक भूमि है जिसे तहसीलदार करछना ने दिनांक 24.12.07 को सम्प्रेषित किया है, नियत प्रारूप पर संलग्न पत्रावली है।

वाद पंजीकृत करके प्रतिवादी को नोटिस निर्गत की गयी। कोई आपत्ति नहीं आयी। मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार करछना की आख्या दिनांक 24.12.07 को अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंवर परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की खतौनी वर्ष 1408 लगायत 1413 फ0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विवादित भूमि का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है। क्षेत्रीय लेखपाल/रा0नि0/ना0तह0 एवं तहसीलदार करछना की आख्या से स्पष्ट है कि विवादित भूमि चारो ओर से बाउन्ड्री से घिरी हुयी है और कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि अकृषिक है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाता है और आदेश हुआ कि ग्राम पंवर परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की खाता संख्या 434 गाटा संख्या 10/0.070, 11/0.080, 103ख/0.114, 103ग/0.598, 18/0.091, 114/2.763, 5/0.068, 7/0.023, 12/0.034, 13/0.034, 14/0.910, 15/0.195, 17/0.040हे0 बकदर कुल तथा खाता संख्या 438 गाटा संख्या 8/0.183, 9/0.068हे0 का 2/3 भाग यानी कुल रकबा 4.3660हे0 लगान 60रु के अनुसार, को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक: 27-12-2007

URGENT
NO-122

Sd/- 27/12/2007
(प्रमोद शंकर शुक्ल)
उप जिलाधिकारी
करछना, इलाहाबाद।

सत्य प्रतिलिपि
(सेहर) 27/12/07
न्यायालय उप जिलाधिकारी
करछना इलाहाबाद

1. आवेदन पत्र देने वाले का नाम ...
2. नकल बनाने ...
3. तुलनाकर्ता ...
4. स्टाम्प रुप 5/13
5. शुल्क ...

उप जिलाधिकारी
करछना इलाहाबाद 27/12/07